न्यायालयः- सिविल न्यायाधीश सैंपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– रेणु कुमारी गोयल, आर०जे०एस०

नम्बरी दीवानी वाद संख्या :– 34/2022 (66/2016)

सीएनआर नंबर :– RJDH150000392022

1. सुन्दरलाल पुत्र तोताराम, दत्तक पुत्र जगदीश प्रसाद, जाति-ब्राह्मण, निवासी-ग्राम पुरैनी, तहसील सैंपऊ, जिला धौलपुर, राजस्थान।

........वादी

बनाम

1. सुधीर पुत्र रमेशचन्द, (दौराने वाद फौत)

1/1. सरोज देवी बेवा सुधीर, उम्र करीब 52 वर्ष

1/2. सत्यम पुत्र स्व. सुधीर, उम्र करीब 28 वर्ष

1/3. लव कुमार पुत्र स्व. सुधीर, उम्र करीब 26 वर्ष

1/4. अश्वनी पुत्र स्व. सुधीर, उम्र करीब 24 वर्ष

जातिगण- ब्राहमण, निवासीगण ग्राम पुरैनी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

1/5. शालिनी शर्मा पुत्री स्व. सुधीर पत्नी पवन शर्मा

जाति-ब्राहमण, निवासी ग्राम पुरैनी, तहसील सैपऊ जिला धौलपुर राज., हाल आबाद खाटूश्याम जी के पास में सैपऊ हाउस गांधी पार्क के पास धौलपुर, तहसील व जिला धौलपुर, राज.।

2. सतीश पुत्र रमेशचन्द,

जातिगण-ब्राहमण, निवासीगण-ग्राम पुरैनी, तहसील सैंपऊ, जिला धौलपुर।

.........प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं सादेश व्यादेश

(काउण्टर क्लेम के अंतर्गत)

उपस्थितिः-

1. विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र गुर्जर, वादी की ओर से।

2. विद्वान अधिवक्ता श्री भोलाराम यादव, प्रतिवादीगण की ओर से।

निर्णय **दिनांकः- 19.03.2026**

1. वादी सुन्दरलाल ने प्रतिवादीगण सुधीर वगैरह के विरूद्ध यह दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं सादेश व्यादेश का दिनांक 09.07.2015 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश, धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रकरण की पत्रावली कालांतर में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के आदेश क्रमांक 115 दिनांक 14.07.2021 की पालना में अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुई, जो दर्ज रजिस्टर की गई तथा जिसका बाद विचारण निम्नानुसार निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही गांव पुरैनी एवं एक ही परिवार के सदस्य हैं वादी एवं प्रतिवादीगण का मकान लगा हुआ है उक्त मकान के पश्चिम में वादी की खातेदारी का खेत आराजी खसरा नंबर 176 एक सौ छिहत्तर रकबा 2 दो बिस्वा एवं 175/900 एक सौ पिचहत्तर रकबा 1 एक बिस्वा गैर मुमकिन कुआ ग्राम पुरैनी में स्थित है जो कि वादी के मकान से लगा हुआ है और गांव आबादी के बीच में होने से काश्त नहीं होती है वादी उठने बैठने भैंस बांधने आदि रूप में रिहायस के ही काम आ रही है उक्त आराजी का कुछ हिस्सा रोड़ में चला गया शेष पर वादी काबिज है और अपने उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। 2. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मकान के पश्चिम में स्थित आराजी खसरा नंबर 176 एक सौ छिहत्तर व 175/900 एक सौ पिचहत्तर वटा नौ सौ का भाग एवं पश्चिमी दीवाल ए से बी भाग ही उक्त प्रकरण में वादग्रस्त जिसको नक्शा संलग्न वाद पत्र में लाल रंग से दर्शित किया गया है एवं प्रतिवादीगण के मकान की पश्चिमी दीवाल जिसे वाद पत्र की आगामी मदों में वादग्रस्त जायदाद के नाम से संबोधित किया। 3. यह कि प्रतिवादीगण लठ्ठ तथा चलाव वाले व्यक्ति हैं जो आये दिन वारदात करने के आदि हैं और प्रतिवादीगण वादी की चल अचल सम्पत्ति पर कब्जा कर गांव से भगाना चाहते हैं और प्रतिवादीगण का कहना है कि हम अपनी पश्चिमी दीवाल के ए से बी भाग में दरवाजा कायम कर वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की वादग्रस्त जायदाद में लठ्ठ के बल पर दरवाजा कायम करके रहेंगे इसी उद्देश्य से दिनांक 29.06.2015 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त दीवाल में ए से बी भाग में दरवाजा कायम करने के उद्देश्य से तोड़ फोड़ शुरू कर दी जब वादी व उसके परिवारीजन द्वारा विरोध किया तो उनके साथ वारदात की तब वादी द्वारा अविलम्ब थाना सैंपऊ पर लिखित में तहरीर की जब पुलिस मौके पर आयी तब काम को बन्द कर दिया लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दी है कि शीघ्र ही वादग्रस्त दीवाल में वादी की जायदाद की ओर दरवाजा कायम कर वादग्रस्त जायदाद पर कब्जा करके रहेंगे यदि प्रतिवादीगण सफल हो गये तो वादी को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से हर्जे खर्चे से संभव नहीं होगी। 4. यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिए यह लाजिमी हो गया है कि न्यायालय श्रीमान् में वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को जरिये अदालत स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त दीवाल के ए से बी भाग में या अन्य किसी भाग में दरवाजा वादग्रस्त जायदाद की ओर नहीं करे न

ही वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की वादग्रस्त जायदाद पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं करें वादी को बेदखल नहीं करे यदि दौराने वाद वादग्रस्त दीवाल में कोई दरवाजा कायम करते हैं तो जरिये सादेश व्यादेश दरवाजा बन्द कराया जावे और यदि वादग्रस्त जायदाद पर किसी प्रकार से कब्जा करे तो जरिये सादेश व्यादेव दावा दायरी के समय की स्थिति कायम करायी जावे व जो तोड़ फोड़ दीवाल में की गयी है उसे प्रतिवादीगण के खर्चे पर बन्द कराया जावे। 5. यह कि दिनांक 29.06.2015 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त दीवाल के ए से बी भाग में दरवाजा कायम करने के दोष पूर्ण आशय से तोड़ फोड़ करने पर व वादी द्वारा मना करने पर वादी के साथ वारदात करने पर पैदा हुई है जो कि आज भी जारी है। 6. यह कि वांछित अनुतोष बाबत स्थायी निषेधाज्ञा सादेश व्यादेश हेतु वाद मूल्य 400/- चार सौ रुपये कायम किया जाकर 10/- दस रुपये का न्याय शुल्क अदा किया जाता है जो कानूनन पर्याप्त है। 7. यह कि विवादित सम्पत्ति के न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से व वाद मूल्य व वांछित अनुतोष के अनुसार वादपत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को हासिल है। 8. वाद कारण उत्पन्न होने से वाद पत्र वादी अवधि मध्य प्रस्तुत है। 9. वाद पत्र दो प्रतियों में पेश है। 10. कथन की पुष्टि में शपथ पत्र पेश है। 11. पता रजिस्टर्ड वादी संलग्न है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि वाद पत्र वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जावे:-

(1) यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा के लिए पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त दीवाल में वादी की वादग्रस्त जायदाद की ओर किसी प्रकार से दरवाजा कायम नहीं करें, ना ही वादग्रस्त जायदाद पर किसी प्रकार से कब्जा कर वादी को बेदखल करें।

(2) यह कि यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त दीवाल में किसी प्रकार से दरवाजा कायम किया जाता है या वादी की वादग्रस्त जायदाद पर दौराने वाद किसी प्रकार से कब्जा कर वादी को बेदखल किया जाता है तो जरिये सादेश व्यादेश दरवाजे को बन्द कराया जावे व वादी को पुनः वादग्रस्त जायदाद पर स्थापित किया जावे व दावा दायरी से पूर्व दीवाल में जो तोड़ फोड़ की गयी है उसे जरिये सादेश व्यादेश बन्द कराया जावे।

(3) यह कि अन्य अनुतोष जो हित वादी एवं न्याय संगत हो वह भी वादी को प्रदान किया जावे।

(4) यह कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

3. प्रतिवादीगण की ओर से वादी द्वारा प्रस्तुत दावे के संबंध में जवाब मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया गया कि 1. यह कि चरण संख्या 1 वाद पत्र वादी सही नहीं है और स्वीकार नहीं है। विवादित जगह पर वादी का उपयोग व उपभोग नहीं है। 2. यह कि चरण सं. 2 वाद पत्र वादी सर्वथा गलत है और स्वीकार नहीं है। वास्तविकता में वादी ने जो वादपत्र के नक्शे में दीवार अक्षर ए, बी दर्शित की है वह ख.नं. 176 व 175/900 का भाग नहीं है और मौके पर कोई दीवार कायम नहीं है वहां

पर प्रतिवादीगण का सम्पूर्ण मकानात बना हुआ है जो नक्शा जवाबदावा के साथ प्रस्तुत किया है उसमें मौके की सही व वास्तविक स्थिति दर्शाई है। 3. यह कि चरण सं. 3 तीन वाद पत्र वादी सर्वथा गलत अंकित की है जो प्रतिवादीगण को स्वीकार नहीं है। यह कि वादी का मौके पर कोई जगह नहीं है और ना ही उक्त जगह पर वादी का आधिपत्य है जबकि वास्तविकता में विवादित जगह प्रतिवादी के खाते खसरा नं. 410/910 की है और उक्त खसरा नंबर 410/910 का भाग है और प्रतिवादीगण के आधिपत्य में है उक्त विवादित जगह पर प्रतिवादीगण का मकान बना है और उसके बाद खाली जगह जो आम रास्ता सड़क तक है, पर प्रतिवादीगण के उपयोग व उपभोग के बर्ताव में आती है और उक्त विवादित खाली जगह के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है और पूर्णतः आधिपत्यधारी है। वादी का विवादित जगह से कोई संबंध सरोकार नहीं है। मात्र प्रतिवादीगण को हैरान-परेशान करने के लिए वादपत्र झूठा प्रस्तुत किया है। जबकि वादी का खसरा नं. 175/900 है जो प्रतिवादीगण के मकान से लगा है और रास्ता में आता है प्रतिवादीगण का ख.नं. 410/910 है जिस पर प्रतिवादीगण का मकान बना हुआ है और उसमें नींव भरी है जो आम रास्ता सड़क तक है और उक्त खाली जगह पर प्रतिवादीगण ही का बर्ताव है तथा प्रतिवादीगण के टीन शैड भी पड़े हैं वास्तविकता व मौके की सही स्थिति को दर्शाने के लिए प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावा के साथ नक्शा प्रस्तुत किया है। 4. यह कि चरण सं. 4 चार वादपत्र वादी सर्वथा गलत है और स्वीकार नहीं है। यह कि वादी ने जो विवादित स्थल वादपत्र में बताया है वह प्रतिवादीगण की स्वामित्व व आधिपत्य की खाते की जगह है और उसमें प्रतिवादीगण का मकान बना है और उसका मकान पर आने-जाने के लिए एक दरवाजा भी है खाली जगह है उस पर नींव भरी है तथा टीन शैड भी पड़ा हुआ है। जहां प्रतिवादीगण का पूरी तरह से बर्ताव है जो संलग्न नक्शा जवाबदावा में हरे रंग से दर्शाया है और उक्त जगह ख.नं. 410/910 की ही भाग है। वादी ने झूठे तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण की जगह को अपनी बताकर ए, बी दीवार में दरवाजा कायम करने की कहा है वह सरासर गलत है दरवाजा पूर्व से ही कायम है और मौके पर कोई दीवा नहीं है प्रतिवादीगण का मकानात है जिसमें काफी कमरे बने हुये हैं। 5. यह कि चरण सं. 5 वाद पत्र वादी सर्वथा गलत है और स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने कोई भी दिनांक को या दिनांक 26.09.2015 को वादी से कहा-सुनी की हो यह कथन सरासर गलत है। 6. यह कि चरण सं. 6 वाद पत्र वादी औपचारिक है। 7. यह कि चरण सं. 7 वाद पत्र वादी औपचारिक है। 8. यह कि चरण सं. 8 वाद पत्र वादी औपचारिक है। 9. यह कि चरण सं. 9 वाद पत्र वादी औपचारिक है। 10. यह कि चरण सं. 10 वाद पत्र वादी औपचारिक है। 11. यह कि चरण सं. 11 वाद पत्र वादी औपचारिक है। वाद पत्र की प्रार्थना सर्वथा गलत है और स्वीकार नहीं है। काउण्टर क्लेम व विशेष कथन- 1. यह कि नक्शा संलग्न जवाबदावा में जो हरे रंग का भाग दर्शाया है वह प्रतिवादीगण के स्वामितव व आधिपतय का हैं और वह खसरा नम्बर 410/910 का भाग है और उक्त जगह खाली है उसमें प्रतिवादीगण की नींव भरी है और लैट्रिन, वाथरूम व टीन शैड हे और उसके पूर्वी दिशा में प्रतिवादीगण का मकान बना हुआ है और विवादित जगह जो वादी ने अपने वादपत्र में बताई है वह प्रतिवादीगण के मकान भी जगह है मौके पर कोई भी दीवार

मौजूद नही है प्रतिवादीगण के मकान से आम रासता सड़क लगी हुई है और सडक ख. नं. 175/900 में है। जो नक्शा जवाब दावा में लाल रंग से प्रदर्शित की गई है। 2. यह कि वाद पत्र में वादी में जो विवादित दीवार बताई है वह मौके पर स्थित नहीं है वहां पर प्रतिवादीगण का मकान बना हुआ है और मकान में अन्दर आने जाने के लिए एक दरवाजा की कायम है जो मकान के समय का ही है और मकान को बने हुये करीब 40-50 वर्ष हो ये है। इसलिए वादी का अब यह कथन गलत है कि प्रतिवादी दरवाजा कायम नहीं करे और वादी का वाद इसी स्तर पर काल वर्जित है और काविल खारिजी है। 3. यह कि ख.नं. 175/900 व ख. नं. 176 आम रास्ता सडक के नम्बर है। जिनको वादी आम रस्ता की सडक की जगह पर नाजायज कब्जा करना चाहता है। जवाब दावा के साथ जो नक्शा प्रस्तुत किया है वह मौके के अनुसार सही है उसको लाल रंग प्रदर्शित किया है। उस पर नाजायज कब्जा कायम करने पर उतारू है इसलिए वादी को इस काउन्टर क्लेम के माध्यम से प्रतिवादीगण को वादी के विरूद्ध यह अनुतोष प्रदान कराया जावे कि वादी इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा-हमेशा के लिए पाबन्द कराया किया जावे कि नक्शा जवाब दावा में जो लाल रंग की भूमि आमरास्ता सडक दर्शायी है व प्रतिवादी की आधिपत्य की खाली जगह पर नाजायज कब्जा कायम नहीं करे और ना ही अपने एजेन्टो से करावे। 4. यह कि वादी द्वारा धमकी प्रतिवादीगण को देने पर प्रतिवादीगण को वाद कारण काउन्टर क्लेम उत्पल हुआ है जो आज भी जारी है। 5. यह कि स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद मूल्य 400 रूपये कायम किया जाकर उस पर प्रदत्त न्याया शुल्क 10 रूपये का काउन्टर क्लेम में प्रस्तुत किया जा रहा है। 6. यह कि अन्य अनुतोष जो प्रतिवादीगणो को हित में आवश्यक हो वह भी वादी से दिलाया जावें। 7. यह कि खर्चा मुकदमा वादी से प्रतिवादियों 10,000 रूपये दिलाया जावें। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थन हे कि प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम जवाब दावा स्वीकार किया जाकर वादी का वाद सव्यय खारिज किया जावे तथा वादी को इस आशय कि स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा-हमेशा के लिए पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण के स्वामित्य व आधिपत्य की भूमि जो नक्शा जबाव दावा में दर्शित की गई। हरे व लाल रंग से तथा हरे रंग की खाली जगह व लाल रंग की आम रास्ता की जगह पर कोई नाजायज कब्जा कायम नहीं करे तथा प्रतिवादीगणो के उपयोग व उपभोग मे कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे और प्रतिवादीगण के मकान के दरवाजा की तोड़-फोड़ नही करे और ना ही अपने एजेन्टो से करावे। श्रीमान् जी की कृपा होगी।

4. वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से पेश जवाबदावा मय काउंटर क्लेम का जवाब काउंटर क्लेम प्रति. सं. 1 व 2 पेश करते हुए कथन किया है कि 1. यह कि काउंटर क्लेम की मद नं. 1 एक जिस प्रकार से तहरीर है कतई गलत है जो स्वीकार नहीं है। जवाब प्रार्थना पत्र व जवाबदावा के साथ संलग्न नक्शा गलत है। तथा मौके के विपरीत है। तथा ये कथन भी गलत है कि जवाब के साथ संलग्न नक्शा में हरे रंग से प्रदर्शित जायदाद का स्वामी प्रतिवादीगण है तथा ख.नं. 410/910 का भाग हो ये भी गलत है तथा ख.नं. 410/910 के स्वामी भी प्रतिवादीगण नहीं है। विशेष कथन विवादित भाग में था अन्य भाग में प्रतिवादीगण की कोई नींव भरी हुई नहीं है। न ही लैट्रिन, बाथरूम, टीन शैड दावा दायरी के बाद कायम किये गये हैं जिन्हें उत्तरदाता

वादीगण हटवा पाने के अधिकारी हैं। तथा ये कथन सर्वथा गलत हैं कि ख.नं. 175/900 सड़क का नंबर हो बल्कि ख.नं. 176 व 175/900 उत्तरदाता वादी की खातेदारी के हैं। 2. यह कि काउंटर क्लेम की नं. 2 दो जिस प्रकार से तहरीर की गई है गलत है जो स्वीकार नहीं है। मौके पर प्रतिवादीगण का तनहा कोई मकान नहीं है। मौजूदा मकान जो प्रतिवादीगण द्वारा हरे रंग से दर्शाया है वो वादी प्रतिवादीगण व सुरेश, रमेश के संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य का है जिसका आज तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है और प्रतिवादी द्वारा कथित गेट दावा दायरी के बाद कायम किया गया है। ये कथन कतई गलत है कि प्रतिवादीगण द्वारा कथित गेट 40-50 वर्ष पुराना हो। 3. यह कि काउंटर क्लेम की मद नंबर 3 तीन कतई गलत है जो स्वीकार नहीं है कि ख.नं. 175/900 व ख.ंन. 176 आम रास्ता सड़क के नंबर हैं और वादी आम रास्ता सड़क की जगह पर कब्जा करना चाहता हो। अपितु वादग्रस्त जायदाद ही उक्त ख.नं. की जगह में जवाबदावे के साथ संलग्न नक्शा मौके व रिकार्ड के विपरीत है वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा सही पेश किया गया और दावा दायरी के समय की सही स्थिति अंकित की गई प्रतिवादीगण विरुद्ध उत्तरदाता वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित जगह को ख.नं. 410/910 का भाग गलत अंकित किया है, जो वादी के तनहा स्वामित्व आधिपत्य की जगह है शेष हरे रंग से दर्शित जायदाद में वादी संयुक्त रूप से स्वामित्व व आधिपत्यधारी है व निवास कर रहा है। 4. यह कि काउंटर क्लेम की मद नंबर 4 चार कतई गलत है जो स्वीकार नहीं है। उत्तरदाता द्वारा प्रतिवादीगण को कोई धमकी नहीं दी, न ही धमकी देने की स्थिति में है। प्रतिवादीगण को कोई वाद कारण विरुद्ध उत्तरदाता वादी पैदा नहीं है। इसलिये भी काउंटर क्लेम खारिज किये जाने योग्य है। 5. यह कि काउंटर क्लेम की मद नं. 5 पांच कानूनी है। जवाब की मौहताज नहीं है। 6. यह कि काउंटर क्लेम की मद नं. 6 छह गलत है स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण वादी के विरुद्ध कोई अनुतोष प्रापत करने के अधिकारी नहीं है। 7. यह कि काउंटर क्लेम की मद नं. 7 सात गलत है कि खर्चा मुकदमा के बाबत 10,000 दस हजार रुपये प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपितु वादी ही प्रतिवादीगण से खर्चा मुकदमा प्राप्त करने का अधिकारी है। यह कि प्रार्थना काउंटर क्लेम कतई गलत है जो स्वीकार नहीं है। खारिज किये जाने योग्य है। विशेष कथन- 1. यह कि वादी आराजी ख.नं. 175/900 रकबा 1 बिस्वा व 176 रकबा 2 बिस्वा का तनहा खातेदार कास्तकार होकर वादग्रस्त जायदाद उसका भाग है जिसका वादी स्वामित्व और आधिपत्यधारी है और प्रतिवादीगण द्वारा दौराने वाद लैट बाथ कायम किये गये हैं व आज भी निर्माण जारी हैं, जिसे जरिये सादेश व्यादेश ध्वस्त करा पाने का अधिकारी है। 2. यह कि समझने संबंध परिवंश सिजरा निम्नांकित पेश है। (1) रामप्रसाद, फौत- (1) करनसिंह, फौत, (2) तोताराम, फौत, (3) जगजीत, फौत, दत्तक पुत्र सुन्दरलाल, (2/1) रमेशचन्द, (2/2) सुन्दरलाल (जो जगजीत के पौत्र दत्तक गए), (2/3) सुरेशचन्द, (2/1/1) सुधीर, (2/1/2) सतीश। 3. यह कि आराजी ख.नं. 410/910 का रकबा 2 बिस्वा जो गत ख.नं. 572/4 रकबा रजि. स्थित ग्राम पुरैनी में से कायम किया गया जो उत्तरदाता की पुस्तैनी जायदाद है के खातेदार स्व. रामप्रसाद है जो वादी के दादा रामप्रसाद से विरासत में प्राप्त हुई है व वादी का जन्म से अधिकार

निहित है एवं तोताराम हल्का पटवारी है जिसका नाम उठाकर गलत इन्द्राज कायम करा लिये वादी आज भी उक्त ख.नं. पर काबिज है व हरे रंग से दर्शित मकान में ही रहा रहा है। इसलिये काउंटर क्लेम गलत तथ्य पर पेश किया गया है खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

5. उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दावा एवं जवाबदावा मय काउंटर क्लेम, विशेष कथन के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक कायम किये गये:-

(1) आया वादी, प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि वे वादग्रस्त दीवार में, वादी की संपत्ति की ओर, किसी प्रकार से दरवाजा कायम नहीं करे, कब्जा नहीं करें एवं किसी प्रकार से वादी को बेदखल नहीं करें?

...............वादी

(2) आया वादी प्रतिवादीगण को इस आशय के सादेश-व्यादेश से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण ने दावा दायरी से पूर्व विवादित दीवार में जो तोड़-फोड़ की है उसे प्रतिवादीगण बंद करें?

...............वादी

(3) आया प्रतिवादी वादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है कि वह नक्शा संलग्न जवाब दावा में हरे व लाल रंग से दर्शित भूमि पर कोई नाजायज कब्जा नहीं करें, उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण के उपयोग-उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे, प्रतिवादीगण के मकान के दरवाजे तोड़-फोड़ न तो स्वयं करे और न ही अपने एजेन्टों से करावे?

...............प्रतिवादीगण

(4) अनुतोष?

6. हस्तगत वाद में वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू 01 सुन्दरलाल शर्मा के रूप में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी खसरा नंबर 175/900, 176, 326, 327 कुल 4 खसरा प्रदर्श-1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श-2 व नक्शा विवादग्रस्त स्थल स्थित ग्राम पुरैनी तह. व जिला धौलपुर सुन्दरलाल पुत्र तोताराम पुरैनी जिला धौलपुर प्रदर्श-03 व सर्वे आयुक्त धौलपुर द्वारा जारी विवादित नक्शा मौका स्थित ग्राम पुरैनी प्रदर्श-04, दो फोटोग्राफ प्रदर्श-6 को प्रदर्शित करवाया गया है।

7. प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब दावा मय काउंटर क्लेम के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह डी.डब्ल्यू-01 सतीश कुमार शर्मा के रूप में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में उसके द्वारा नक्शा मकान व खाली जमीन सुधीर कुमार व सतीश कुमार पुत्र रमेशचन्द निवासी व स्थित ग्राम पुरैनी तह. सैंपऊ धौलपुर

प्रदर्श-ए1, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम पुरैनी प.म. पुरैनी तह. सैपऊ जि. धौलपुर प्रदर्श-ए2, जमाबन्दी खसरा नंबर 321, 322, 410/910, 410/911 कुल 16 खसरा प्रदर्श-ए3, जमाबन्दी खसरा नंबर 68, 69, 112, 114, 151, 167, 175/899, 209, 299, 318, 319, 320 प्रदर्श-ए4, दावा मय नक्शा जारी जिला न्यायाधीश महोदय उनवानी सुन्दरलाल बनाम रमेशचन्द मु.नं. 47/16 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-ए5 व नक्शा मकान व जगह सुन्दरलाल पुत्र तोताराम दत्तक पुत्र जगजीत प्रसाद ग्राम पुरैनी तह. व जिला धौलपुर प्रदर्श-ए6 को प्रदर्शित करवाया गया।

8. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस उभय पक्षों के अपने-अपने अभिवचनों के अनुरूप ही तर्क रहे हैं। उभय पक्षों ने कथन किया कि उन्होनें अपने ऊपर भारित तनकी को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य दी है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि वादी अपने ऊपर भारित तनकीयों को साबित नहीं कर पाया है। वादी के अभिवचनों और वादी की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। वादी का मामला उसकी साक्ष्य से किसी भी प्रकार से साबित नहीं है। जबकि वादी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रतिवादीगण अपने ऊपर भारित तनकी को साबित नहीं कर पाये हैं। वादी ने अपने मामले के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य दी है।

9. उभय पक्षों के मध्य लंबित विवाद के निस्तारण बाबत न्यायालय द्वारा विरचित किए गए विवाद्यकों का बिन्दुवार निस्तारण न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार से किया जा रहा है:-

विचारणीय बिंदू संख्या 01:-

10. आया वादी, प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि वे वादग्रस्त दीवार में, वादी की संपत्ति की ओर, किसी प्रकार से दरवाजा कायम नहीं करे, कब्जा नहीं करें एवं किसी प्रकार से वादी को बेदखल नहीं करें?

11. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर है। इस विवाद्यक के संदर्भ में बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी के तर्क अपने वादपत्र के अभिवचनों के अनुरूप ही रहे हैं। इस विवाद्यक के संबंध में वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य हेतु गवाह पीडब्ल्यू 01 सुन्दरलाल शर्मा के रूप में स्वयं का शपथपत्र पेश किया है तथा अपनी मुख्य परीक्षा में शपथ पत्र के अनुरूप ही कथन किए हैं। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि उसका आज स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। यह दावा उसने अपनी जगह की वजह से पेश किया है। प्रतिवादीगण द्वारा उसकी जगह में दरवाजा कर लिया है इस बाबत उसने दावा पेश किया है। दावे करने के 2-4 महीने बाद दरवाजा कर लिया है और प्रतिवादीगण द्वारा उनकी जगह में घूरे वगैरा डाल लिये हैं और उनकी जगह में रास्ता निकाल लिया है तथा इस सुझाव को सही बताया है कि उक्त दावे में उसने दरवाजा निकालने बाबत कोई संशोधन वाद-पत्र में नहीं कराया है। प्रतिवादीगण ने दौराने दावा दरवाजा निकाल लिया होने वाली

बात शपथ पत्र में नहीं लिखाई होने के प्रश्न पर वादी ने उत्तर दिया कि शपथ पत्र में दरवाजा कायम करने वाली बात अंकित है। आगे इस सुझाव को सही बताता है कि दावे में पीले रंग से दर्शित कमरे उसके स्वामित्व के हैं। विवादित स्थल पर सर्वे कमिश्नर गया था उस समय वह वहां पर मौजूद था तथा इस सुझाव को भी सही बताता है कि विवादित स्थल की सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट तैयार की गई है वो सही लिखकर लाया है। मौके के अनुसार कमिश्नर रिपोर्ट सही लाया है। उसका मकान कितने बाई कितने का बना है उसने उसकी पैमाइश नहीं की है और न ही आज वह अन्दाजे से बता सकता है। उसने अपने वादपत्र का नक्शा सही पेश किया है जो प्रदर्श 3 है तथा इस सुझाव को सही बताता है कि प्रदर्श 3 में उसने अपने झीने को अंकित नहीं किया है तथा आगे इस सुझाव को गलत बताता है कि उसने प्रदर्श 3 नक्शा मौके के अनुसार नहीं बनवाया तथा इस सुझाव को सही बताता है कि उसने इस नक्शे में जो मकान की नाप तौल लिखी है उसे आज पता नहीं है आगे कथन करता है कि उसने अपने वाद पत्र के नक्शे में आम रास्ता दर्शाया है वह किस खसरा नं. में है अंकित नहीं है क्योंकि आम रास्ते का कोई खसरा नं. नहीं होता तथा इस सुझाव को सही बताता है कि उसका मकान व खसरा नं. 176 व खसरा नं. 175/900 की पैमाइश बाबत राजस्व अधिकारी की कोई रिपोर्ट उक्त वाद पत्र में प्रस्तुत नहीं की है। यह कहना भी सही है कि उसने प्रतिवादी का मकान व खाली जगह किस खसरा नं. में है यह भी उसने अपने वाद पत्र के नक्शे प्रदर्श 3 में अंकित नहीं की है। वाद पत्र के नक्शे में उसने राशन की दुकान अंकित नहीं की है क्योंकि राशन की दुकान दावा दायरी के समय नहीं थी तथा इस सुझाव को गलत बताता है कि विवादित जगह पर प्रतिवादीगण के लैट-बाथ बने हों। लैट-बाथ उसे दावा करने से पहले बने हुये हैं तथा इस सुझाव को सही बताता है कि उसने अपने नक्शे में लैट-बाथ दर्शित नहीं किये हैं। अज खुद कहा कि लैट बाथ का विवाद ही नहीं था इसलिए उसने नक्शे में लैट-बाथ दर्शित नहीं कराये तथा इस सुझाव को गलत बताता है कि विवादित जगह से रोड़ तक कोई नींव भरी हो तथा इस सुझाव को सही बताता है कि दावे के नक्शे में पीले रंग से दर्शित भाग आम रास्ता की जमीन आपस में मिली हुई है तथा इस सुझाव को गलत बताता है कि उनका बंटवारा बाबत कोई नहीं होना है क्योंकि उक्त खसरा नं. उसका व्यक्तिगत है जिसको उसने बयनामा द्वारा खरीद किया था तथा आगे इस सुझाव को भी गलत बताता है कि दावे के साथ संलग्न नक्शे में पीले रंग से जो भाग दर्शित किया गया है वह भाग प्रतिवादीगण का हो एवं इस सुझाव को भी गलत बताता है कि प्रतिवादीगण के मकान बने हुये हैं उसे पूर्व में उसका मकान हो तथा इस सुझाव को भी गलत बताता है कि विवादित जगह पर आना-जाना था तथा इस सुझाव को सही बताता है कि एक दावा अलग जायदात का बंटवारा हेतु जिला एवं सेशन न्यायाधीश समक्ष प्रस्तुत किया है तथा इस सुझाव को भी सही बताता है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां उसने नक्शे पेश किये हैं। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि खसरा नं. 176 व 175/900 का कुछ भाग आम रास्ते में चला गया हो, यह उसकी जानकारी में नहीं है कि विवादित खाली जगह खसरा नं. 410/910 का भाग हो, यह उसकी जानकारी में नहीं है कि खसरा नं. 181 का भाग कुछ आम रास्ते में चला गया हो। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि विवादित स्थल खसरा नं. 410/911

व 410/910 का भाग हो। उसकी यह भी जानकारी में नहीं है कि विवादित स्थल खसरा नं. 175/899 का भाग हो तथा इस सुझाव को गलत बताया है कि प्रतिवादीगण के विवादित स्थल पर टीन शैड घूरे वगैरा डले हो तथा आगे कथन किया है कि प्रतिवादीगण के घूरे वगै. विवादित स्थल के बगल में डले हुये हैं। कमिश्नर रिपोर्ट में कमिश्नर ने टीन शैड में भूसा प्रतिवादीगण का बताया हो तो उसे नहीं पता तथा इस सुझाव को गलत बताता है कि विवादित मकान व जगह प्रतिवादीगण की हो तथा आगे इस सुझाव को भी गलत बताता है कि प्रतिवादीगण की जगह को हड़पने के लिये उपरोक्त दावा झूठा प्रस्तुत करने का कथन किया है। इसके अतिरिक्त हस्तगत पत्रावली का अवलोकन करें तो वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तवोजी साक्ष्य में प्रदर्श 1, 2, 3 व 4 पेश किए हैं जिनके अवलोकन से भी वादी का वाद पूर्ण रूप से साबित होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा मय काउंटर क्लेम के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य भी न्यायालय में पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाई गई है। अतः पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र विश्लेषण के पश्चात् न्यायालय का यह विनम्र मत है कि वादी द्वारा अपने मामले को पर्याप्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया गया है। अतः विवाद्यक संख्या 01 वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

विचारणीय बिंदू संख्या 02:-

12. आया वादी प्रतिवादीगण को इस आशय के सादेश-व्यादेश से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण ने दावा दायरी से पूर्व विवादित दीवार में जो तोड़-फोड़ की है उसे प्रतिवादीगण बंद करें?

13. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर है। इस विवाद्यक के सम्बन्ध में वादी ने प्रतिवादीगण को इस आशय के सादेश-व्यादेश से पाबंद कराना चाहा है कि प्रतिवादीगण ने दावा दायरी से पूर्व विवादित दीवार में जो तोड़-फोड़ की है उसे प्रतिवादीगण बंद करे । चूंकि वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में पेश किए गए दस्तावेजात से अपने वाद को साबित किया है जिसका विस्तृत रूप से विवेचन विवाद्यक संख्या 01 का निस्तारण करते समय किया जा चुका है। अतः विवाद्यक संख्या 02 भी वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

विचारणीय बिंदू संख्या 03:-

14. आया प्रतिवादी वादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है कि वह नक्शा संलग्न जवाब दावा में हरे व लाल रंग से दर्शित भूमि पर कोई नाजायज कब्जा नहीं करें, उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण के उपयोग-उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे, प्रतिवादीगण के मकान के दरवाजे तोड़-फोड़ न तो स्वयं करे और न ही अपने एजेन्टों से करावे?

15. विचारणीय बिन्दु संख्या 03 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इस विचारणीय बिंदु के संदर्भ में बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण के तर्क अपने जवाबदावा व काउंटर क्लेम के अभिवचनों के अनुरूप ही रहे हैं। इस विवाद्यक के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा अपने काउंटर क्लेम के समर्थन में साक्ष्य हेतु स्वयं का शपथपत्र गवाह डीडब्ल्यू 01 सतीश कुमार शर्मा के रूप में पेश करते हुए अपने काउंटर क्लेम में अंकित अभिवचनों को दोहराया है तथा अधिवक्ता वादी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया है कि विवादित जगह के बाबत कोर्ट से मौका कमिश्नर मौके पर गया था। मौके पर मौका कमिश्नर द्वारा कोई नक्शामौका उसके सामने नहीं बनाया एवं मौका कमिश्नर द्वारा नक्शामौका बनाया है वह पत्रावली में शामिल है जो प्रदर्श-4 है। इस सुझाव को भी सही बताया है कि खसरा नंबर 175/900 रकबा 1 बिस्वा गैर मुमकिन कुंआ है तथा इस सुझाव को गलत बताया है कि यह खसरा नंबर 175/900 विवादित जगह से लगा हुआ हो। गवाह इस सुझाव को सही बताता है कि वादी द्वारा दावा उसके व उसके भाई के खिलाफ किया था तथा इस सुझाव को भी सही बताता है कि उसके भाई सुधीर के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं हैं। गवाह आगे कथन करता है कि सुन्दरलाल जी जिन्होंने दावा किया है वह उसके कुटुंब के हैं, गोद चले गये हैं, चाचा लगते हैं। प्रदर्श- ए1 उसने बृजमोहन कुशवाह से बनवाया था। बृजमोहन कुशवाह को वह नक्शा बनवाने हेतु अपने घर पर लाया था। अधिवक्ता वादी द्वारा गवाह से प्रश्न किया गया कि उसके मकान के पश्चिम में रोड़ आम निकलती है या नहीं, जिसके उत्तर में गवाह ने कथन किया है कि उसके मकान के पश्चिम में खुली जगह है जिसके पश्चिम में सड़क आती है। प्रदर्श-3 में प्रदर्शित सी से डी भाग उसका मकान है तथा इस सुझाव को सही बताता है कि सी से डी दर्शित मकान में उसके भाई का भी हिस्सा है। उसका और उसके भाई के मध्य मकान का बंटवारा नहीं हुआ है। आगे इस सुझाव को भी सही बताता है कि खसरा नंबर 176 व खसरा नंबर 175/900 वादी के नाम है तथा इस सुझाव को गलत बताता है कि खसरा नंबर 176 व 175/900 वादी के कब्जे कास्त के न होकर आम रास्ता सड़क के हैं जो वादी ने अपने वादपत्र में भी स्वीकार किया है। वह आज नहीं बता सकता कि उसके मकान के पश्चिम में सड़क आम रास्ता कितनी दूरी पर है। आगे इस सुझाव को सही बताता है कि प्रदर्श डीडब्ल्यू-1 में पेन से कटिंग हो रही है। प्रदर्श ए-5 में जिला जज महोदय धौलपुर के समक्ष दावा प्रस्तुत हुआ था वह है। इस सुझाव को भी सही बताता है कि प्रदर्श ए-5 में दावा बंटवारा एवं दुरस्ती इन्द्राज का है। इस सुझाव को भी सही बताता है कि बंटवारा संपत्ति व जायदाद का सह खातेदारों के तौर पर होता है। ग्राम पुरैनी में मकान के बंटवारे बाबत जो नक्शा पेश किया है प्रदर्श ए-6 में ए-6 के बंटवारे बाबत प्रस्तुत किया है उसमें वह, उसका भाई व सुन्दरलाल वादी एवं इनके अलावा रमेशचन्द, नत्थीलाल व और भी अन्य लोग रह रहे हैं। आगे इस सुझाव को सही बताता है कि प्रदर्श ए-6 नक्शा पेश किया है वह सही है आज खुद कहा कि यह नक्शा वादी ने बंटवारा के दावे के साथ जिला जज महोदय धौलपुर के समक्ष पेश किया है तथा गवाह को प्रदर्श-6 दिखाया और नीम के पेड़ के बारे में गवाह से पूछा तो

गवाह ने बताया कि फोटो में दर्शित नीम का पेड़ उसकी ही जगह में खड़ा हुआ है। अधिवक्ता वादी द्वारा गवाह से प्रश्न किया गया कि आपके द्वारा प्रदर्श ए-1 नक्शा बनवाया उस नक्शे में आपके द्वारा नीम के पेड़ को नहीं दर्शाया है, जिसके उत्तर में गवाह ने कथन किया कि नीम के पेड़ का कोई विवाद नहीं है, विवाद केवल दीवाल में गेट का है तथा इस सुझाव को सही बताया कि उसने प्रदर्श ए-1 में अपने मकान के पास नीम के पेड़ को अंकित नहीं कराया है एवं रमेशचन्द, सुन्दरलाल और सुरेशचन्द भाई-भाई थे तथा इस सुझाव को गलत बताता है कि प्रदर्श ए-1 मौके के विपरीत हो। आगे इस सुझाव को गलत बताता है कि खसरा नं. 175/900 ग्राम आबादी से लगा है बल्कि आम रास्ता का नंबर है। इस सुझाव को गलत बताता है कि प्रदर्श-3 पर अंकित ए से बी स्थान पर जबरदस्ती लठ्ठ के बल पर दरवाजा कायम करने पर आमादा है, बल्कि वह उसके खातेदारी की जमीन है तथा प्रदर्श-3 मौके के अनुसार नहीं बना है। प्रदर्श ए-1 में खसरा नं 176 व 175/900 नक्शे में उत्तरी दिशा में अंकित है जो उसके नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित है तथा आगे कथन करता है कि नत्थीलाल का मकान उसके मकान के पूर्व में है और सुन्दरलाल जी का मकान भी पूर्व दिशा में है तथा इस सुझाव को सही बताता है कि प्रदर्श ए-1 में नत्थीलाल व सुन्दरलाल का मकान दर्शाया है एवं प्रदर्श ए-1 में खसरा नं. 175/900 व 176 में आम रास्ता व सड़क के रूप में दर्ज नहीं है तथा प्रदर्श-2 में नक्शा ट्रेस के बारे में वह नहीं बता सकता यह पटवारी बनाते हैं पटवारी की भाषा वह नहीं जानता होना तथा प्रदर्श पी-2 के बारे में भी वह नहीं जानता होना कथन करता है तथा प्रदर्श-1 व उसके शपथ पत्र की शपथ मद संख्या 8 सही होना कथन करता है तथा इस सुझाव को गलत बताता है कि प्रदर्श-2 में लाल स्याही से दर्शित भाग पर दीवार बनी हो, बल्कि आज खुद का उसका मकान बना हुआ है। आगे गवाह इस सुझाव को गलत बताता है कि 29.06.2015 को उसने तथा उसके भाई ने प्रदर्श-3 में लाल रंग से अंकित भाग को तोड़कर गेट बनाना चाहा हो एवं उसने और उसके भाई ने 176 व 175/900 पर जबरन कब्जा करना चाहा हो और उसके बाद वादी ने उनके विरुद्ध यह दावा पेश किया हो। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा में किए गए कथनों की पुष्टि हेतु कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय में पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाई गई है। अतः विवाद्यक संख्या 03 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

अनुतोष :-

16. प्रकरण में चूंकि विचारणीय बिन्दु संख्या 01 व 02 वादी के पक्ष में विनिश्चित किये गये हैं तथा विचारणीय बिन्दु संख्या 03 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, जिसको साबित करने में प्रतिवादीगण असफल रहे हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में डिक्री किये जाने योग्य है।

—: आदेश :—

17. अतः वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं सादेश व्यादेश को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त दीवार में, वादी की संपत्ति की ओर, किसी प्रकार से दरवाजा कायम नहीं करे, कब्जा नहीं करें एवं किसी प्रकार से वादी को बेदखल नहीं करें। खर्चा उभय पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तदानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

(रेणु कुमारी गोयल)
सिविल न्यायाधीश, सैंपऊ

18. यह निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में बाद हस्ताक्षर व मुद्रांकन सुनाया गया।

(रेणु कुमारी गोयल)
सिविल न्यायाधीश, सैंपऊ

RAMKISHAN
Stenographer 3rd
"Authenticated Document"
Digitally signed by RAMKISHAN
Date: 2026.03.19 17:24:21 +0530